स्थगित।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

24/7/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। मामला पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम में गत तारीख पेशी पर वहस हो चुकी है। वादी (प्रार्थी) मूल रूप से दावा (तकासमा व हुक्म इमतनाई दवामी) राज. काश्त. ...

हस्ता...

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी-मुण्डावर 42

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कोमल बनाम मालती 5 Ach

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
वादीगण की धारा-53 व 188 के तहत प्रस्तुत कि.या है एवं इस प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीगण 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी क्र. 1 व 2 भिन्न प्रार्थी के काश्त कार्य में बाधा न पहुंचाये, ना निर्माण करे तथा शामलाती आराजी को दीगर जगह रहन, बेय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल न करे तथा अप्रार्थी क्र. 3 व 4 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एकतरफा सुनवाई की जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 22.04.24 से जारी किया गया था। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अन्य कथनों के साथ मुख्य रूप से यह कथन वर्णित किया है कि आराजी खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का हिस्सा कम जो कि गलत है का अंकन हो रखा है। अप्रार्थी क्र.-1 व 2 को 1/3 हिस्सा अपने पूर्वजों से जरिये विरासत प्राप्त हुआ है प्रार्थी आराजी मुतनाजा में से अपने वास्तविक हिस्सा काबिज है उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी अप्रार्थीगण को सन् 2007 में हुई तो अप्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद बख्सुवानी रामपत बनाम रतनलाल वगै० मुकदमा नं० 234/2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दायर किया जिसका निर्णय दिनांक ~~12/02/2022~~ 12/02/2013 को हुआ।..	

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हु... में ...
	कोमल बनाम लालसिंह	

अप्रार्थीगण के पक्ष में होकर 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये गये। इस निर्णय की अपील हुई जो खारिज हो चुकी है अन्य किसी न्यायालय के वाद/अपील विचाराधीन नहीं है अब प्रार्थी ने उक्त निर्णय दिनांक 12/02/2013 के इजराय की प्रक्रिया जारी की है। प्रार्थी अपना [illegible] विधिवत् इसलिए चाहते है कि पूर्व वाद राजपत बनाम रतनलाल वगैरह डिक्री दिनांक 12/02/2013 के विरुद्ध अपील खारिज हो चुकी है और उक्त डिक्री का अमल राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किये जाने बाबत प्रक्रिया चल रही है प्रार्थी उक्त डिक्री के अमल के अमल को रोकने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम स्थगन आदेश जारी कराया है क्योंकि डिक्री की पालना से प्रार्थी का हिस्सा कम हो जायेगा इसलिए प्रार्थी के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को बचाने के लिए यह प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जिसे खारिज किया जावे।

प्रा०प० पर उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दाखिलशुदा यथा पूर्व निर्णय अनुवाद राजपत बनाम रतनलाल इत्यादि व नजीरात प्रस्तुत की। अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व निर्णय बाबत अनभिज्ञता जाहिर की। दोनो विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने-अपने प्रा.पत्र व जवाब के कथनों का दौरान बहस दोहराव किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
कोमल बनाम मालसिंह 212 RTAct	

पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया एवं गहन मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी गुतनाना बाबत पूर्व में निर्णय उक्त राजस्व वाद सं. 234/2007 दिनांक ~~24/11/2007~~ 1/2/2013 को हुआ है जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के हिस्से बाबत आदेश जारी किया जाकर 1/3 हिस्सा का काश्तकार खातेदार तनाजा में वादीगण के पक्ष में घोषित किया गया है जिसके बाद प्रा.प. के अप्रार्थीगण, प्रति वादीगण रहे है इस प्रकार पूर्व निर्णय के अनुसार इजराय को रोका जाना उचित नहीं है यदि किसी सीनियर न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश प्रभावी न हो तो। एवं इजराय के उपरान्त हिस्सों का परिवर्तन होना संभावी है परिणामस्वरूप इस प्रा.प. से सम्बंधित वाद में पक्षकारान के हिस्से नहीं प्रभावित होंगे। यह प्रार्थी का clean hand नहीं आना भी संदेहास्पद है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा-212 राज. काश्त. अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेशिका दिनांक 22-4-2024 से जारी अस्थाई स्थगन आदेश को समाप्त किया जाता है एवं प्रार्थी [illegible] का प्रा.प. अन्तर्गत धारा-212 खारिज किया जाता है यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नं. से कम होकर संलग्न मूल वाद हो।

(हस्ताक्षर)

([illegible] अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner